




फॉर्म अहकाम

बनाम

स्थानालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

कोस सं. / 202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
<p>उ. नं. 569 प्रतिवादी/वादी 20/6/25</p>	<p>20.6.25</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी (प्रतिवादी सं. 569 की क्षमिकता उपरिष्ठ 'अनुपरिष्ठत' की शीर्षक में 27.6.25 को पेश की गई। आदेशानुसार 27.6.25 को पेश की गई।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर </p>
<p>वादी का अवेकलवाद पत्र पेश किया गया। प्रमाण प्राप्त।</p>	<p>27.6.25</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। क्षमिकता वादी उपस्थित। पूर्वोक्त की प्रमाणों के पत्रावली दिनांक 27/6/25 को पेश की।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर </p>
<p>मानगार प्रमाण</p>	<p>4.7.25</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी द्वारा उपस्थित। वादी द्वारा निवेदन किया गया की प्रकरण के प्रसंग में मध्य राजीनामा ही गया है इसलिए वादी अपने वाद को छोड़ नहीं सकता-चाहता। अतः वाद पर शरिज प्रारम्भार्थ जावे। वादी के निवेदन के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आवत तत्कालीन व शर्त निवेधाना शरिज किया गया। पत्रावली प्रोत्तर शुभकर होकर नंबर से कम होकर प्रस्तुत प्रकरण है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर </p>